

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :-122/15

संस्थापन दिनांक:-18/03/15

फाईलिंग नं. 233504003472015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. मोहनसिंह पिता हरिसिंह चौहान, उम्र 48 वर्ष
2. दीपू पिता रंगवल बघेल, उम्र 32 वर्ष
दोनों निवासी उमरिया, थाना आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 29.07.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 341, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.03.2015 को समय 08:30 बजे शाम या उसके लगभग फरियादी के घर के सामने ग्राम उमरिया थाना आमला जिला बैतूल म.प्र. के अंतर्गत फरियादी अंजनीबाई को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी अंजनी को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी को पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी अंजनीबाई को सदोष अवरूद्ध किया तथा फरियादी अंजनीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.03.2015 को फरियादी उसके घर से निकलकर दुकान तरफ जा रही थी तभी उसके घर के सामने रास्ते में उसे अभियुक्तगण मिले। अभियुक्तगण ने उसका रास्ता रोककर उसे मकान बनाने से रोकेंगी कहकर मादरचोद, बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उस पर पत्थर फेंके जिससे उसके दाहिने पैर में पत्थर से चोट आयी। अभियुक्तगण ने उसे मकान बनाने से रोकने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 137/15 पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान अभियुक्त रंगवल पिता आमर्या बघेल की मृत्यु हो चुकी है जिसे दिनांक 18.04.2015 को फौत घोषित किया गया है।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक व स्थान पर फरियादी अंजनीबाई को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अंजनीबाई को पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक व स्थान पर फरियादी अंजनीबाई को सदोष अवरुद्ध किया ?
4. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक व स्थान पर फरियादी अंजनीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 03 एवं 04 का निराकरण

6 अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि जब उसे रास्ते में अभियुक्तगण मिले तो उन्होंने उसे गंदी गंदी

गालियां दी जो सुनने में बुरी लगी थीं। जसवंतसिंह (अ.सा.-3) ने भी उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण उसकी पत्नी अंजनी को मां बहन और छिनाल की गाली दे रहे थे।

7 अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा गंदी गंदी गालियां देना बताया है। जसवंत सिंह (अ.सा.-2) ने मां बहन एवं छिनाल की गाली देना बताया है परंतु स्वयं फरियादी ने वे शब्द न्यायालय में प्रकट नहीं किये हैं जो कि अभियुक्तगण ने उच्चारित किये थे और साक्षी जसवंत ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्तगण एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

8 अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण पर लगे धारा 506 भाग-दो भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

9 अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण यह प्रकट किया है कि घर के सामने रास्ते में उसे अभियुक्तगण मिले। साक्षी के उक्त कथनों से यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने उसका रास्ता रोका हो। अतः अभियुक्तगण पर लगे धारा 341 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

10 अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) ने उसके न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उसे पत्थर एवं लकड़ी से मारा जाना प्रकट किया है तथा उसे दाहिने पैर में चोट आना बताया है। जसवंत सिंह (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि उसकी पत्नी और अभियुक्तगण के बीच में विवाद चल रहा था और उसने अभियुक्त दीपू को अपनी पत्नी को पत्थर मारते हुए देखा था।

11 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-2) ने दिनांक 14.03.2015 को सी.एच.सी. आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए उसने आहत अंजनीबाई का परीक्षण किये जाने पर आहत की दाहिनी जांघ पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार की

सूजन एवं दर्द पाया था एवं दाहिने हाथ में भी दर्द होना पाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आहत को आयी चोटे साधारण किस्म की थी जो कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी गयी थी जो परीक्षण के एक से दो दिन के भीतर की थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) को प्रमाणित भी किया है। फरियादी/आहत अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) के द्वारा बताये गये स्थान पर चोट होने का तथ्य चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट होता है।

12 सरूबाई (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना लगभग एक साल पहले की सुबह के 8-9 बजे की है। वह घटना के समय अपने घर पर बर्तन साफ कर रही थी तभी उसे हो-हल्ला की आवाज आयी थी इसके बाद वह अपना काम करके घर के अंदर आ गयी। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

13 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-5) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि दिनांक 14.03.2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसने फरियादी की रिपोर्ट पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) लेख की थी तथा दिनांक 15.03.2015 घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श प्री-6 लगायत प्रदर्श प्री-8 के गिरफ्तारी पत्रक बनाया था। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण से साक्षी के कथनों या कार्यवाही में कोई भी विसंगति प्रकट नहीं होती है। उक्त साक्षी के कथनों से उसके द्वारा की गयी कार्यवाही प्रमाणित होती है।

14 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा जसवंत सिंह अनुश्रुत साक्षी है। तब ऐसी दशा में मात्र फरियादी के कथनों के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया।

15 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह बताया है कि रात्रि 8 बजे वह अपने घर से निकलकर दुकान तरफ जा रही थी तभी रास्ते में उसे अभियुक्तगण मिले और उन्होंने उसे पत्थर एवं लकड़ी से मारा जिससे उसे दाहिने पैर में चोट आयी थी। जसवंत सिंह (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घटना दोपहर 2-2:30 बजे की है। उक्त साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उसके घर की मेड़ और अभियुक्तगण के घर की मेड़ लगी हुई है। उसने अभियुक्तगण से मेड़ छोड़ देने के लिए कहा था इसी बात पर से घटना दिनांक को जब वह खेत से

लौटकर आ रहा था तो अभियुक्तगण का और उसकी पत्नी का विवाद चल रहा था। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसने अभियुक्त दीपू को उसकी पत्नी को मारते हुए देखा था।

16 अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में अभियुक्तगण से मुख्य विवाद मकान बनाने को लेकर होना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 5 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उसने यह नहीं देखा था कि पत्थर किसने मारा था। स्वतः मैं साक्षी ने कहा है कि उसे पत्थर दीपू ने मारा था। जसवंत सिंह (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 3 में बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे घटना के संबंध में संपूर्ण जानकारी उसकी पत्नी ने दी थी। स्वतः मैं उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसका खेत मकान के पास में ही है आवाज सुनकर वह आ गया था। इसी पैरा में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उनका अभियुक्तगण से केवल जमीन की मेड़ को लेकर विवाद है इसके अलावा कोई विवाद नहीं है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 5 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसकी पत्नी को अभियुक्तगण ने पत्थर से नहीं मारा था। स्वतः मैं उक्त साक्षी ने यह कहा है कि उसने स्वयं मौके पर पहुंचकर पत्थर मारते हुए देखा था।

17 अभियोजन कथा अनुसार चक्षुदर्शी साक्षी सर्रुबाई (अ.सा.-4) है जिसने अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी फरियादी की पड़ोसी है। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष या विपक्ष में साक्ष्य देने से बचते हैं। अतः उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना दर्शित नहीं होता है।

18 अभियोजन कथा अनुसार जसवंत सिंह (अ.सा.-3) चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है परंतु उक्त साक्षी स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी होना बता रहा है। स्वयं के द्वारा संपूर्ण घटना देखा जाना बता रहा है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में फरियादी अंजनीबाई के द्वारा घटना की बात अपने पति जसवंत सिंह को बताया जाना लेख कराया गया है। अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) के न्यायालयीन कथनों से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जसवंत सिंह (अ.सा.-3) घटना के समय मौके पर था और उसने घटना घटित होते देखी थी। यदि वास्तव में जसवंत सिंह मौके पर उपस्थित होता और उसने घटना देखी होती तो फरियादी अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट और न्यायालयीन कथन में उक्त बात अवश्य प्रकट की जाती। स्पष्टतः साक्षी जसवंत सिंह अनुश्रुत साक्षी है। साथ ही उक्त साक्षी ने घटना का समय सुबह 8-9 बजे का बताया है। जबकि अभियोजन कथा अनुसार घटना करीब रात्रि 8:30 बजे की है। साथ ही फरियादी ने भी उसके

न्यायालयीन कथन में घटना रात्रि 8 बजे की होना बताया है। अतः साक्षी जसवंत सिंह (अ.सा.-3) के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

19 अंजनी कुशवाह (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्तगण द्वारा पत्थर एवं लकड़ी से मारा जाना बताया है। अभियोजन कथा अनुसार भी अभियुक्तगण द्वारा पत्थर फेंके जाने से फरियादी के पैर में चोट आना लेख है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे पत्थर अभियुक्त दीपू ने मारा था। घटना रात्रि 8-8:30 बजे के बीच की है। फरियादी शरीर के दाहिनी जांघ पर केवल एक चोट है। अभियुक्तगण के द्वारा यदि उस पर पत्थर फेंके गये थे तब ऐसी दशा में फरियादी के शरीर पर केवल एक चोट आना असंभव नहीं परंतु अस्वाभाविक अवश्य प्रतीत होता है। घटना रात्रि 08:30 बजे की है। ऐसे में यदि अभियुक्तगण फरियादी के उपर पत्थर फेंक रहे हो तब फरियादी के द्वारा अभियुक्त दीपू के द्वारा फेंके गये पत्थर से चोट आना बताया जाना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की सूचना विलंब से दिये जाने का कारण रात्रि होने से एवं साधन न मिलने से लेख है। फरियादी के द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन शाम 06:30 बजे की गयी है। स्पष्टतः फरियादी के द्वारा दूसरे दिन भी रिपोर्ट शाम के समय की गयी है। यदि वास्तव में रात्रि हो जाने के कारण घटना दिनांक को ही रिपोर्ट नहीं करायी गयी थी तो फिर दूसरे दिन भी रिपोर्ट शाम को ही कराये जाने का कोई भी स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं होता है जिससे कि विलंब अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

20 अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) ने दाहिने पैर में चोट आना बताया है। डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-2) ने भी अपने परीक्षण में आहत की दाहिनी जांघ पर सूजन और दर्द पाया था परंतु उक्त साक्षी ने अपने अभिमत में यह भी बताया है कि आहत को आयी चोट एक से दो दिन के अंदर की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 2 में बचाव के सुझाव को सही होना बताया है कि परीक्षण में उसके फ्रेश चोट नहीं पाया था और आहत के शरीर पर आयी चोट परीक्षण से एक दो दिन पहले की थी। अंजनी कुशवाह का मेडिकल परीक्षण घटना के दूसरे दिन शाम 7 बजे किया गया है जो कि लगभग 24 घंटे से एक घंटे पूर्व की थी। चिकित्सक साक्षी ने एक दो दिन के अंदर की चोट आना बताया है। तब निश्चायक रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि आहत को आयी चोट उसके द्वारा वर्णित घटना के अनुक्रम में अभियुक्तगण के द्वारा ही पहुंचायी गयी थी।

21 जसवंत सिंह (अ.सा.-3) के अभियोजन कथा अनुसार अनुश्रुत साक्षी होने के बाद भी उसके द्वारा स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी बताया जाना तथा उसके एवं अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) के कथनों से उनके एवं अभियुक्तगण के मध्य पूर्व से विवाद होना, रात्रि 08:30 बजे अभियुक्तगण द्वारा पत्थर फेंककर उसे मारे जाने पर

भी फरियादी के शरीर पर केवल एक चोट का पाया जाना, फरियादी के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त दीपू के द्वारा पत्थर से मारा जाना बताना, प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लेख कराये जाने का कोई भी स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से प्रकट न होना उक्त समस्त परिस्थितियां अभियोजन कथा का संदेहास्पद बना देती हैं। ऐसी स्थिति में बचाव अधिवक्ता का तर्क उचित प्रतीत होता है। अतः एकमात्र फरियादी/आहत अंजनी कुशवाह (अ.सा.-1) के कथनों के आधार पर अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 5 का निराकरण

22 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 13.03.2015 को समय 08:30 बजे शाम या उसके लगभग फरियादी के घर के सामने ग्राम उमरिया थाना आमला जिला बैतूल म.प्र. के अंतर्गत फरियादी अंजनीबाई को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी अंजनी को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी को पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी अंजनीबाई को सदोषावरुद्ध किया तथा फरियादी अंजनीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण मोहन एवं दीपू को धारा 294, 323/34, 341, 506 भाग-दो भा.दं.सं. के आरोप से अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

23 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

24 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)